न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 48/2018 (उदयपुर आर्डर)

लक्ष्मीलाल पिता घासीलाल जी महाजन, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर हाल मकान नंबर 231, चाणक्यपुरी, हिरण मगरी, सेक्टर नं. 4, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भू.अ.) वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलक्टर उदयपुर दि॰
23.05.2017 प्रकरण संख्या 09/14

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1. श्री हनुमान प्रसाद भार्मा अभिभाशक अपीलान्ट

2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

30–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेनार में आराजी नंबर 1214/2 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित होकर वर्तमान में विपक्षी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसके मूल नंगर 1214 रकबा 48 बीघा 15 बिस्वा

बिलानाम सरकार दर्ज थी और जरिये नामान्तरकरण संख्या 533 से यह भूमि विपक्षी के नाम आवंटन से गैर खातेदारी हक से आवंटित हुई, किन्तु नामान्तरकरण पर जो आदे"ा चस्पा हुआ उस पर किसी भी एलोटमेन्ट कमेटी के सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं, न ही तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं तथा न ही आवंटन आदे"ा की पालना में कब्जा सिपुर्द किया गया। वर्तमान में भूमि खुली पड़ी हुई है, जिस पर गांव के मवे"ाी चरते हैं। यह भूमि जल भराव क्षेत्र की होने से आवंटन योग्य भी नहीं है। उक्त भूमि राश्ट्रीय राजमार्ग 76 पर होकर बे"ा कीमती जमीन है। अतः आवंटन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 23–05–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि पुनः बिलानाम दर्ज करने के आदे"ा दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–08–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिसपर उनकी ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ इस कारण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 17–07–2017 को समाचार पत्र से हुई। जानकारी दिनांक से अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हुई है एवं उसकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट की ओर से आदे"ा 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत कुछ दस्तावेज प्रस्तुत कर उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया। उक्त दस्तावेजात मूल एवं प्रमाणित प्रतियां होने से आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

विद्वान अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बताया कि अपीलान्ट को बिना सुने उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। उसे अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुए, जिससे वह अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना आवंटन पत्रावली का अवलोकन किये उक्त निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस अपीलान्ट को विधिवत तामिल हुई हैं, किन्तु इसके बावजूद वे अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहें हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली के अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट/विपक्षी की विधिवत तामिल होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है, ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए उनकी अनुपस्थिति में उसे बिना सुने जो निर्णय पारित किया गया है, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। स्वयं प्रार्थी/ रेस्पोन्डेन्ट का कथन है कि उक्त भूमि अपीलान्ट/विपक्षी को आवंटित हुई है, किन्तु वह उक्त आवंटन को दुर्व्यपदे"ान से प्राप्त करना बताते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसे बिना सुने आवंटन निरस्त किया जाना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–05–2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/विपक्षी को विधिवत सुनवाई का असवर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–11–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर